


प्रश्न सं. [क. 1484]

परिशिष्ट-"अ"
प्र.सं. 1484


(क) जी हों। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 164,109-10 के तहत वारिसाना एवं संहिता की धारा 70/107 के तहत नक्शा तर्मीम किये जाने के नियम/आदेश है जिसकी प्रति संलग्न है। वर्ष 2015-16 में आराजी नं. 8/1 पारसनाथ पिता श्रीरामधारी ब्रा., 8/2 निसार अहमद पिता मोहम्मद यासीन मुसलमान, 8/3 फते मोहम्मद, निसार अहमद पिता यासीन, 8/4 मैनुददीन पिता जान मोहम्मद मुसलमान, 8/5 नजीर मोहम्मद पिता लाल मोहम्मद मुसलमान, 8/6 भैयालाल पिता साहबदीन मुसलमान सा. बैसनपुरवा के नाम दर्ज थी। आराजी नं. 8/7, 8/8 खसरे में बटांकित आराजी दर्ज नहीं है। वर्ष 2015-16 में ग्राम बैसनपुरवा की आराजी नं. 8/6 का वारिसाना, बटवारा नामांतरण पंजी क्रं.1 आदेश दिनांक 31/03/2015 के द्वारा सादिक पिता सरवर अली, बाहिद पिता सरवर अली के नाम वारिसाना, बटवारा नामांतरण किया गया है। बटवारा पश्चात उपरोक्त बटांकित आराजी नं. 8/6/1, 8/6/2 खसरे में दर्ज है। नामांतरण पंजी, इश्तहार की प्रति संलग्न है।


अनुभाग अधिकारी
मो प्रो सा व
राजस्व विभाग शाखा-2
संभालय, भोपाल

परिशिष्ट-"ब"

प्र.सं.1484

(ख) प्रश्नांश (क) के भूमि का नक्सा तर्मीम किये जाने हेतु पारसनाथ उपाध्याय पिता श्री रामधारी उपाध्याय सा. बैसनपुरवा तहसील जवा के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र अनुसार न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त अतरैला तहसील जवा के राजस्व प्रकरण क्रं.0033/अ-3/2020-21 पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से जाँच प्रतिवेदन, पंचनामा सह नजरी नक्शा लिया जाकर आदेश दिनांक 05/03/2021 के द्वारा नक्सा तर्मीम का आदेश पारित किया गया है। उक्त नक्शा तर्मीम के बिरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती है।


अनुष्ठात (अधिकारी)
म० प्र० शासन
राजस्व विभाग शाखा-६ २
संबालय, भोपाल